

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 170/2021

दायर दिनांक 23.07.2021

वादी	प्रतिवादीगण
<p>1. हनुमानराम पुत्र स्व. जवानाराम उम्र 58 वर्ष जाति जाट निवासी ठाकरियास, तहसील- डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।</p>	<p>बनाम्</p> <p>1. सुखाराम पुत्र ज्ञानाराम उम्र 52 वर्ष 2. ज्ञानाराम पुत्र भारूराम उम्र 66 वर्ष 3. रामेश्वरलाल पुत्र जावानाराम उम्र 48 वर्ष 4. जगदीश राम पुत्र जावानाराम उम्र 42 वर्ष 5. रेखाराम पुत्र जगनाथाराम उम्र 43 वर्ष 6. टीकूराम पुत्र जगनाथाराम उम्र 32 वर्ष 7. गोविन्दराम पुत्र जगनाथाराम उम्र 24 वर्ष 8. राजूदेवी पत्नि हगनाथाराम उम्र 61 वर्ष समस्त जाति जाट निवासी ठाकरियास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 9. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा, डीडवाना। 10. तहसीलदार डीडवाना।</p>

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री पूरणसिंह बोहरा वकील वादी।

--:: निर्णय ::--

दिनांक 27.07.2021

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद ठाकरियास पटवारी हल्का दादूबासनी भू.अ.नि. कोलिया में कृषि भूमि खेत ख0सं0 65 रकबा 0.22 हैक्ट. , ख0सं0 65/606 रकबा 0.23 हैक्ट., ख0सं0 65/609 रकबा 0.22 हैक्ट. तथा ख0सं0 65/610 रकबा 0.16 हैक्ट., ख0सं0 66 रकबा 0.0600 हैक्ट. बाराणी प्रथम अवस्थित है, जिसके वादी व प्रतिवादीगण की सामलाति पैतृक कृषि भूमि है, जिस पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 खातेदार काबिज काश्तकार है। स्व0 मालुराम की सेवा चाकरी ज्ञानाराम के पुत्र सुखाराम ने की थी तक से पुराने खसरा नम्बर 42 तथा वर्तमान खसरा नम्बर 65 में से ¼ हिस्सा अर्थात् 01 बीघा 08 बिस्वा की भूमि राजीखुशी सुखाराम को दे दी थी जिस पर वह काबिज काश्त है।

यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का वाद में उपरोक्त वर्णितानुसार कृषि भूमियों का विभाजन निम्न प्रकार हिस्सा अनुरूप घोषित किया जावें।

- (क) वादी हनुमानराम व प्रतिवापदी संख्या 03 व 04 के हिस्से व बंट में आई भूमि - ख0सं0 65 रकबा 0.22 हैक्ट. में से रास्ते की 0.0114 हैक्ट. भूमि को छोड़कर शेष रकबा 0.2086 हैक्ट. भूमि सलंगन नजरी नक्शा अनुसार।
- (ख) प्रतिवादी संख्या 01 सुखाराम पुत्र ज्ञानाराम के बंट में आई भूमि - ख0सं0 65/606 रकबा 0.23 हैक्ट. में से 0.0114 रास्ते की भूमि को छोड़कर शेष 0.2186 हैक्ट. भूमि सलंगन नजरी नक्शा अनुसार।




 सहायक कलक्टर
 डीडवाना (नागौर)

- (ग) प्रतिवादी संख्या 02 ज्ञानाराम पुत्र स्व0 भारूराम के बंट में आई भूमि – ख0सं0 65/609 रकबा 0.22 हैक्ट. में से रास्ते की 0.0114 हैक्ट. भूमि को छोड़कर शेष 0.2086 हैक्ट. भूमि सलंगन नजरी नक्शा अनुसार।
- (घ) प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 रेखाराम, टीकूराम, गोविन्दराम पुत्रगण स्व0 जगनाथाराम व राजदेवी पत्नि जगनाथाराम के हिस्से व बंट में आई भूमि – खसरा संख्या 0.06 हैक्ट. सम्पूर्ण तथा ख0सं0 65/610 रकबा 0.16 हैक्ट. में से 0.0114 हैक्ट. रास्ते की भूमि को छोड़कर शेष 0.1486 हैक्ट. भूमि सलंगन नजरी नक्शा अनुसार।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है –

यह है कि वाद में उपरोक्तानुसार वर्णित कृषि भूमियों का बंटवारा व कब्जे काश्त के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 के बीच नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाकर घोषणा खातेदारी में नाम अमल दरामद की जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम किया जावे तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के ट्रेस नक्शे में उपरोक्त खसरो की दक्षिणी उत्तरी रूप में दर्शाया गया है तो गलत है उन्हें सुधार कर प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किया जावें। नक्शे में A, B, C रकबा 0.0456 हैक्ट. का नया रास्ता घोषित किया जावें।

यह है कि उक्त राजीनामा नजरी नक्शे अनुसार ख0सं0 65 रकबा 0.22 हैक्ट. , ख0सं0 65/606 रकबा 0.23 हैक्ट., ख0सं0 65/609 रकबा 0.22 हैक्ट. तथा ख0सं0 65/610 रकबा 0.16 हैक्ट., ख0सं0 66 रकबा 0.0600 हैक्ट. ग्राम ठाकरियास में सभी पक्षकारान ने आपसी सहमति व स्वेच्छा से उक्त राजीनामा किया है।

रेकर्ड का अवलोकन किया। तर्कों पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः हस्व दावा जरिये राजीनामा स्वीकार कर मौजा ठाकरियास के खेत ख0सं0 65 रकबा 0.22 हैक्ट. , ख0सं0 65/606 रकबा 0.23 हैक्ट., ख0सं0 65/609 रकबा 0.22 हैक्ट. तथा ख0सं0 65/610 रकबा 0.16 हैक्ट., ख0सं0 66 रकबा 0.0600 हैक्ट. के वाद में पेश राजीनामा व नजरी नक्शे अनुसार बंटवारा कर पक्षकारान की अलग-अलग खातेदारी घोषित की जाती है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(सहायक सीपा) बट
R.A.S.
डीडवाना (जागीर)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 06.08..2021 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(सहायक सीपा) बट
R.A.S.
डीडवाना (जागीर)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

डिक्री बमुकद्दमें इब्तादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 170/2021

दायर दिनांक 23.07.2021

वादी	प्रतिवादीगण
1. हनुमानराम पुत्र स्व. जवानाराम उम्र 58 वर्ष जाति जाट निवासी ठाकरियास, तहसील- डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. सुखाराम पुत्र ज्ञानाराम उम्र 52 वर्ष 2. ज्ञानाराम पुत्र भारूराम उम्र 66 वर्ष 3. रामेश्वरलाल पुत्र जावानाराम उम्र 48 वर्ष 4. जगदीश राम पुत्र जावानाराम उम्र 42 वर्ष 5. रेखाराम पुत्र जगनाथाराम उम्र 43 वर्ष 6. टीकूराम पुत्र जगनाथाराम उम्र 32 वर्ष 7. गोविन्दराम पुत्र जगनाथाराम उम्र 24 वर्ष 8. राजूदेवी पत्नि हगनाथाराम उम्र 61 वर्ष समस्त जाति जाट निवासी ठाकरियास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 9. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा, डीडवाना। 9. 10. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत
घोषणा, रेकॉर्ड दुरुस्ती एवं रेकॉर्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनांक 06.08.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पूरणसिंह बोहरा वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, जरिये राजीनामा दावा स्वीकार कर मौजा ठाकरियास के खेत ख0सं0 65 रकबा 0.22 हैक्ट., ख0सं0 65/606 रकबा 0.23 हैक्ट., ख0सं0 65/609 रकबा 0.22 हैक्ट. तथा ख0सं0 65/610 रकबा 0.16 हैक्ट., ख0सं0 66 रकबा 0.0600 हैक्ट. के वाद में पेश राजीनामा व नजरी नक्शे अनुसार बंटवारा कर पक्षकारान की अलग-अलग खातेदारी घोषित की जाती है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।
बसब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 06.08.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जादावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जा महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(नागौर)